रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2014/वैशाख 16, 1936
No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2014/VAISAKHA 16, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 318(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वन सर्वेक्षण (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) भर्ती नियम, 1984 को, जहाँ तक उनका संबंध दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, क्लिनर, माली और सफाईवाला के पदों से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण में बहु-कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैड – 1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख सिवाय उन अभ्यर्थियों के लिए जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
10	11
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून - **अध्यक्ष** 2. उप निदेशक, (पी एंड ए), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून - **सदस्य** 3. सह-आचार्य, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - **सदस्य** 4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित समुचित स्तर का कोई अधिकारी - **सदस्य**	लागू नहीं होता

[फा.स. 09-2/2013-एफई]

मालती रावत, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2014

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Forest Survey of India (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1984 in so far as they relate to the posts of Daftry, Peon, Chowkidar, Cleaner, Mali and Safaiwala except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method the recruitment to the posts of Malti Tasking Staff in the Forest Survey of India, Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Forest Survey of India Multi Tasking Staff (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification**.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	41* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band -1 Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 1800/-.	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age (Relaxable for Departmental candidates upto 40 years. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed or direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent from a recognized Board.	Not applicable.	Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.

If a Department promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Director General, Forest Survey of India, Dehradun —Chairman; 2. Deputy Director (P&A), Forest Survey of India, Dehradun —Member; 3. Associate Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun —Member; 4. An officer of appropriate level belonging to Schedule Caste or Schedule Tribe to be nominated by the Chairman —Member.	Not applicable

[F. No. 9-2/2013-FE]

MALTI RAWAT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.